(e) The installed manufacturing capacity for cylinders in the country is far in excess of the requirement of the oil industry.

Combining the post of Telephone Inspector, Wireless operator and Transmission Assistant to a new cadre

2255. SHRI M. M. JACOB: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to combine the posts of Telephone Inspector, Wireless Operators and Transmission Assistants to a new cadre;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) whether it is a fact that there are no promotion channels to the post of Wireless Operators, Telephone Inspectors and Transmission Assistants in the present scheme?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): (a) Yes, Sir.

(b) The proposals envisage utilisation of employees in the grade of Transmission Assistant, Auto Exchange Assistant etc. who would now be called Technical Assistants for maintenance and installation of electromechanical switching equipments, transmission equipments etc. The minimum qualification for new recruits will be a technical diploma. All the incumbents recruited to the new cadre either from the existing similar cadres or from junior cadres like that of technicians or from outside would be adequately trained with specialisation in one or more specialities.

(c) No, Sir.

Telephone service at Bishanpurhat

2256. SHRI RAFIQUE ALAM: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of telephones working at present at Bishanpurhat, District Purnea in Bihar; and

(b) the number of telephones got disconnected by subscribers there during the last two years, year-wise and reasons for their disconnection?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): (a) At present 6 telephone connectons are working at Bishanpur hat, District Purnea.

(b) No telephone connection was got disconnected by the subscribers during last two years. However eight telephone connections were disconnected by the department due to non-payment of dues in Feb., 1984.

भारत के संविधान का भारतीय भाषा में अनुवाद

2257. **श्री शिव कुमार मिश्र :**
श्री सोहन लाल धूसिया :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के संविधान का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) भारत के संविधान का अब तक कितनी तथा किस-किस भाषा में अनुवाद किया जा चुका है ; और

(ग) संविधान के अनुवादित रूपांतरणों के प्रयोग के सम्बन्ध में प्राप्त हुई प्रतिक्रियाओं का ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख). विधायी विभाग का राज भाषा खण्ड, जिसके भारसाधन में यह कार्य है, 1982 में संविधान का हिन्दी अनुवाद और 1984 में हिन्दी में संविधान का पुनरीक्षण अथवा (हिन्दी संस्करण) रूपान्तर प्रकाशित कर चुका है । संविधान के बानवें संशोधन को सम्मिलित करते हुये संविधान के पंजाबी संस्करण के अद्यतन हिन्दी रूपान्तर के शीघ्र विमोचन की संभावना है । खण्ड ने, सम्बद्ध राज्य सरकारों के सहयोग से, संविधान का असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़,

मलयालम, मराठी, उडिया, पंजाबी, तेलुगु और उर्दू रूपान्तर पहले ही प्रकाशित कर दिया है। खण्ड ने मलयालम, मराठी और गुजराती में संविधान के द्वितीय पुनरीक्षित संस्करण भी प्रकाशित कर दिये हैं। संविधान के कन्नड़ रूपान्तर का द्वितीय पुनरीक्षित संस्करण अभी हाल ही में प्रकाशित किया गया है। संविधान के संस्कृति रूपान्तर, संविधान के द्वितीय पुनरीक्षित उर्दू रूपान्तर और हिन्दी में संविधान (जेबी संस्करण) के पुनरीक्षित अद्यतन रूपान्तर के शीघ्र विमोचन की संभावना है। संविधान के तमिल रूपान्तर से सम्बंधित कार्य, राजभाषा खण्ड के कुछ वर्ष पहले ही पूरा कर लिया गया था और तब से वह राज्य सरकार के विचाराधीन है। संविधान की अष्ठम अनुसूची में उल्लिखित शेष दो भाषाओं में, अर्थात्, सिंधी और काश्मीरी में, रुपान्तर से सम्बन्धित कार्य चल रहा है।

(ग) संविधान के विभिन्न भाषाओं में रूपान्तर के विमोचन के अवसर पर दिखाया गया उत्साह, उनका विक्रय और पुनरीक्षित संस्करणों की बढ़ती हुई मांग इस बात के द्योतक है कि उक्त प्रकाशनों का स्वागत हुआ है। उन विभिन्न भाषाओं में, जो काफी समय के विधिक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त नहीं हुई है, संविधान के रूपान्तर तैयार करना निश्चय ही एक अग्रणी कार्य माना जाना चाहिये और खण्ड को, इस क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों से प्रोत्साहन और सुधार के लिए, सुझाव प्राप्त हो रहे है। पुनरीक्षित संस्करण के तैयार करते समय, इन सुझावों को ध्यान में रखा जाता है।

भारत के संविधान का संस्कृत रुपान्तर

2258. **श्री शिव कुमार मिश्र :**
श्री सोहन लाल धूसिया :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के संविधान के संस्कृति रूपान्तर की प्रतियां छपकर कब से तैयार पड़ी हैं ; और

(ख) सरकार इसके विमोचन के लिए क्या कार्यवाही कर रही है और इसे बिक्री के लिए जनता को कब तक उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) भारत के संविधान के संस्कृत रूपान्तर की मुद्रित प्रतियां 16-3-1985 को प्राप्त हुई थी। इन प्रतियों की सावधानीपूर्वक संवीक्षा करने के पश्चात् जो शुद्धिपत्र तैयार किया गया है उसका मुद्रण किया जा रहा है। संविधान के संस्कृत रूपान्तर और संविधान के उर्दू रूपांतर के द्वितीय (अद्यतन) संस्करण तथा संविधान (जेबी संस्करण) के अद्यतन हिन्दी रूपान्तर के उपयुक्त समारोह में, शीघ्र विमोचन की संभावना हैं। उसके पश्चात् उक्त प्रकाशनों को विक्रय के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा।

Allotment of Maruti cars in the country

2259. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the number of persons registered for Maruti cars in the year 1982 in each city in the country;

(b) the number of persons who have so far been allotted Maruti cars in each city;

(c) the number of persons in each city proposed to be allotted Maruti cars during 1985-86;

(d) by when all the persons registered for Maruti cars in 1982 are likely to be allotted the cars;

(e) what is the annual manufacturing capacity of these cars at present and for the next two years; and

(f) what is the foreign and indigenous components in terms of percentage in the manufacture of the car and by when it will become completely indigenous?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS (SHRI ARIF MOHD. KHAN): (a) to (c) The